प्रकरण संख्या 38/2014 भैरूलाल बनाम श्रीमती जतू बाई

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.08.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घाशणा, विभाजन एवं निशेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीमल में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 20 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है तथा पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर विवादित भूमियों में वादिया का 1/6 हिस्सा ह। अतः उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर वादिया को विवादित भूमि का खातेदार घोशित किया जावे एवं स्थाई निशेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 4 तनकियात कायम की गयी एवं अपने निर्णय दिनांक 29–05–2014 से वादिया का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 7 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 30.06.2014 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण का नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री महे''ा भट्ट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 से 16 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 व 18 की ओर से वकील श्री हीरालाल कटारिया उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा सभी रेकार्डेड	

खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे वह अपने पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। श्रीमती संतोश देवी एवं श्रीमती किरण दुग्गड़ द्वारा विवादित भूमियों में से कुछ भूमियां रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गयी है, जिससे वह इस प्रकरण में आव"यक पक्षकार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लाखा कि मृत्यु 1956 से पूर्व हो चुकी थी, इसलिए वादिया को उक्त भूमि में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की अनदेखी की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाशक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होना हुआ बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्टगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों में से आराजी नंबर 370 व 535/371 का रजिस्टर्ड विकय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 व 18 के पक्ष में दिनांक 24.03.2011 को कर दिया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2014 को वाद डिकी किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय में केतागणों को पक्षकार नहीं बताया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी प्रथम दृश्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 29.05.2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं उनसे साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31–10–2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद

पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 38/2014 भैरूलाल बनाम श्रीमती जतू बाई